

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

स्थापना एवं भर्ती अनुभाग -II

सं.मानू/ई.आर-II/ई.एफ.229/2021-22/872

दिनांक: 13.10.2021

कार्यालय आदेश

विषय: विद्यमान भर्ती नियमों में संशोधन के लिए मेवा(MEWA) के प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए समिति में एक सदस्य जोड़ने के संबंध में।

संदर्भ: 1. सं.मानू-ई.आर-II/ई.एफ.229/2020-21/1829, दिनांक.08.03.2021

2. दिनांक. 12.10.2021 को कुलपति द्वारा अनुमोदन।

उपरोक्त संदर्भ 1 में उद्धृत कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, गैर-शैक्षणिक पदों के लिए विद्यमान भर्ती नियमों में संशोधन के लिए मेवा (MEWA) के प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए, कुलपति महोदय की अनुमति से प्रो.एस.एम.रहमतुल्लाह, सम-कुलपति को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. इसके अतिरिक्त, श्री.मो. शाहनवाज़ अली, महासचिव, मेवा(MEWA) को उपरोक्त समिति में सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है।

3. उक्त कार्यालय आदेश के अन्य मद अपरिवर्तित रहेंगे।

4. समिति द्वारा दिनांक. 31.10.2021 तक या उससे पहले कुलपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

S. S. S. 13.10.21
प्रभारी कुलसचिव

प्रति :

1. प्रो.एस.एम.रहमतुल्लाह, सम-कुलपति, मानू .
2. श्री. मो.शाहनवाज़ अली, महासचिव, मेवा
3. समिति के सभी सदस्यों को
4. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति/ सम-कुलपति/ कुलसचिव/ वित्त अधिकारी कार्यालय
6. कार्यालय प्रति